2024/9

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

PV

प्रतिवादी [illegible] TDR [illegible]

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
177 दावा	03/24	23/1/2024	प्रतिवादी बृजराज सिंह की मृत्यु हो गई है [illegible] TDR [illegible] प्राप्त हुई [illegible]	14/8/24 3/9/24 01/10/24 9/10/24 26/11/24 17/12/24 28/1/25 20/2/25 25/2/25 3/3/25

[illegible] तामील [illegible]

निर्णय [illegible]

अनवान 25/2/25

श्री तहसीलदार — श्री बृजराज सिंह s/o नारायण सिंह

निवासी बिजौलिया — निवासी [illegible] का तालाब, बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री सरकार सरकार — श्री EX – Party

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

TRC बनाम भूरालाल

किस्म मुकदमा 177 03/24 नम्बर 177 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/01/2024	वादपत्र पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/01/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/1/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीयों के सम्मन तामील प्राप्त। प्रतिवादीगण के सही पते पर पुन: सम्मन जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक पुन: सम्मन दिनांक 7/2/24 को पेश हो।	
7/2/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुन: सम्मन 13/2/24 को पेश हो।	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी पूर्व में दिए गए पत्ते पर निवास नहीं करते हैं। तहसीलदार बिजौलिया को सही पते के लिए पत्र जारी किया गया। पत्रावली वास्ते पुन: तामील (सही पते) आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	S/3

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

TDR बनाम बृजराज

किस्म मुकदमा धारा 177 RTA प्रकरण संख्या 03/24

GCMS नम्बर:– 20249

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/12/24 को वास्ते बा-बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/12/24	~~पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 28/1/25 को वास्ते ई. रिपो. पेश हो।~~ उप खण्ड अधिकारी	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से मृतक बृजराज के वारिसान की सूचना मय पत्र के प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में मृतक के वारिसान ~~के मृतक~~ को तामील जारी हो व संशोधित शीर्षक पेश हो। पत्रावली वास्ते गौर तलबी आगामी दिनांक 28/01/25 को पेश हो।	
28/01/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते गौर तलबी आगामी दिनांक 20/02/25 को पेश हो। पुनश्च:- पत्रावली में संशोधित शीर्षक पेश हुआ, जो पूर्व में ही शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते तामील रजि. (देखने) डाक आगामी दिनांक 20/2/25 को पेश हो।	

राजस्थान सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 03/2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

......................................वादी

बनाम्

बृजराजसिह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां (मृतक)

1.1 बजरंगदान सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी

1.2 स्वीटी पुत्री सिंह निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी

1.3 विमलेश पत्नि बृजराजसिंह राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी

02.सुरेशकुमार पुत्र साबूमल जाति राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। .....अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाही ......अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/03/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 177 में अंकित खसरा नम्बर 170/1 क्षेत्रफल 0. 4371 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड नहरी कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 170/1 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड नहरी हैक्टेयर भूमि पर अवैध खनन होकर पानी भरा हुआ है, व मलबा पड़ा हुआ है। मौका पर्चा संलग्न है। खसरे को प्रयोजनार्थ/अकृषी उपयोग किया गया । उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन होकर पानी भरा हुआ है। व मलबा पड़ा हुआ है। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की अदम तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 02 के नए पत्ते के लिए तहसीलदार बिजौलियां को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां से विपक्षी 02 का नया पता प्राप्त हुआ जिस पर रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। विपक्षी 01 के फोत होने की सूचना प्राप्त हुई, पैरोकार सरकार द्वारा विपक्षी एक के कायम–मुकाम पेश किए गए। विपक्षी 01 मृतक के वारिसान की सूचना तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में संशोधित शीर्षक पैरोकार सरकार द्वारा पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मृतक के वारिसान को रजि. डाक से तामील करवाई गई, जो संलग्न पत्रावली है। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत 2076–2079, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस फौटो ग्राफ पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया । विपक्षीगण की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 177 में अंकित खसरा नम्बर 170/1 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड नहरी कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिकी मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 03/03/**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पत्र संख्या 03/2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

स्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

....डिक्रीदार

बनाम्

जराजसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां (मृतक)
1 बजरंगदान सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला
ीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी

.2 स्वीटी पुत्री सिंह निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी
1.3 विमलेश पत्नि बृजराजसिंह राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा हाल निवास पुराना माटून्दा रोड इन्दिरा कॉलोनी बर्फ बैक्ट्री के पास बून्दी जिला बून्दी
02.सुरेशकुमार पुत्र साबूमल जाति राजपूत निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलियां

.......मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। .....डिकीदार।
2. एक पक्षीय कार्यवाही ......मदयून ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03/03/2025

डिक्री दिनांक 03/03/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 177 में अंकित खसरा नम्बर 170/1 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड नहरी कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब की गई।

नीज ....Nil...........................मुबलिग .... Nil ....

बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह मार्च वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
म्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
म्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
नताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
र्चा गवाह			खर्चा गवाह		
स कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बत् इजराय हुक्मनामा			बावत् इजराय हुक्मनामा		
नफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा